तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible] जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23/12/24	पत्रावली पेश हुई अधिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान [illegible] राज्य [illegible] बाह्य दौरे पे [illegible] कार्य मे व्यस्थ है/ अधिभाषकगण [illegible] अतः पत्रावली साक्षिक कार्यवाही हेतु दिनांक...26/12/24.......को पेश हो	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई अधिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान [illegible] राज्य [illegible] बाह्य दौरे पे [illegible] कार्य मे व्यस्थ है/ अधिभाषकगण [illegible] अतः पत्रावली साक्षिक कार्यवाही हेतु दिनांक...13/01/25.......को पेश हो	
13/01/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 17/01/25 को पेश हो।	
17/01/25	वकील प्रार्थी उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, आ० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज०)

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
87 / प्रा०प० / 2024	29.04.2024	हरविन्दर ढी० सिंह, आर०ए०एस०

कमलाबाई पत्नी स्व० श्री रतना जाति गुजर निवासी मायजा तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीया

बनाम–

तहसीलदार, के०पाटन हाल रायथल जिला बून्दी (राज०)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक–17.01.2025

उपस्थित– प्रार्थीया की ओर से एडवोकेट श्री भारत कुमार वर्मा।
अप्रार्थी की ओर से पेशकार सरकार।

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 352 पुराना 124 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1427 / 847 रकबा 0.05 हे० वाके ग्राम व माल मायजा, पटवार हल्का मायजा तहसील केशवराय पाटन हाल रायथल जिला बून्दी राज० में स्थित है, जिसका खातेदार प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि के आस–पास अन्य खातेदारों की भी कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि खाते के हिसाब से मौके पर कम दिखाई पड़ती है जिसका आज दिन तक सीमांकन नहीं होने से उक्त भूमि यथावत दर्ज रही है। प्रार्थीया को लगता है कि मौका स्थिति पर प्रार्थीया की भूमि कम पड़ती है कि आस–पास के पड़ौसियों ने उक्त भूमि को दबा ली है, इस कारण से मौके पर सार के सार निशानात मिट गये है और प्रार्थीया को काश्त व्यवस्था करने में भी दिक्कतें आ रही है। प्रार्थीया का अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया अपने खाते की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाकर सीमाबन्दी करवाये जिससे मौके पर आगे भविष्य में कोई विवाद आदि उत्पन्न नहीं हो तथा प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि पर यथावत प्रार्थीया काश्तकारी कर सके। प्रार्थीया ने अपनी भूमि पर पत्थरगढ़ी करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, के० पाटन के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु उन्होंने कहा कि अगर पत्थरगढ़ी करवानी है तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के० पाटन के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करो तब ही तुम्हारी पत्थरगढ़ी हो सकती है। प्रार्थीया श्रीमान के यहां अविलम्ब पत्थरगढ़ी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है, प्रार्थीया चाहती है कि उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी हो जावे जिससे प्रार्थीया की भूमि की सही तरीके से पत्थरगढ़ी करवाकर सीमाबन्दी [illegible] विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थीया द्वारा इत्यादि प्रार्थना पत्र में अंकित कर [illegible] किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए खाता [illegible] खसरा संख्या 1427 / 847 रकबा 0.05 हे० [illegible] व माल [illegible] पटवार हल्का मायजा तहसील के० पाटन हाल रायथल जि[illegible] प्रार्थीया पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है इसलिये प्रा[illegible] की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश अप्रार्थी को दिये जाने का आदेश प्रदान कि[illegible] जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायथल से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्रांक भू०अ०/रायथल/2024/3384 दिनांक 26.09.2024 प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया कि ग्राम मायजा में खसरा नंबर 1427 / 847 रकबा 0.05 हे० किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम मायजा की

पत्थरगढी चाही गई है। वर्तमान में उक्त भूमि पर सावन की फसल खड़ी है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड के उक्त खसरा नंबर शामलात के खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 2/25 दर्ज रेकार्ड है। उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थीया का मौके पर कब्जा नहीं है।

बहस प्रार्थीया एवं पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी नहीं की है, जिससे मौके पर विवाद बना रहता है। इसलिये श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार, रायथल को दिये जाने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत 2080 ग्राम मायजा तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान के अवलोकन से जाहिर आया है कि आराजी खसरा संख्या 1427/847 ग्राम मायजा प्रार्थीया के सहखातेदारी अधिकार की भूमि है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 2/25 हिस्सा निहित है, शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारों की अविभाजित भूमि है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु सिर्फ प्रार्थीया द्वारा ही आवेदन पेश किया है जबकि अन्य सहखातेदार प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थीया द्वारा सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र विषयक आराजी में सहखातेदार रेकार्डेड हितधारक है, जिन्हें सुने बिना आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:51 IST
Reason: SelfAttested